प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 08.12.2025

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07.12.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि अभियुक्त सलमान द्वारा वादिया की पुत्री उम्र करीब 10 वर्ष को गंदी वीडियो दिखाकर गलत काम करने के सम्बन्ध में तहरीर दी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 65(2)/75(3) बीएनएस व धारा 5(m)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर थाना से अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सलमान खान उर्फ अल्लारक्खा पुत्र गुड्डू हाल निवासी गुलाब वाटिका थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम बेहटा धीरा थाना बेहटा गोकुल जनपद हरदोई को आज दिनांक 08.12.2025 को लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त सैमसंग गैलेक्सी टेब बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरा वादिया के घर पर आना-जाना था, दिनांक 06.12.2025 को मैंने वादिया की लडकी को इसी टेब पर अश्लील वीडियो दिखाकर गलत काम किया था, जब उसकी मम्मी को पता चल गया तब मै यह टेब लेकर वहां से भाग गया था और मैने इस टेब से वीडियो डिलीट कर दी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सलमान खान उर्फ अल्लारक्खा पुत्र गुड्डू हाल निवासी गुलाब वाटिका थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम बेहटा धीरा थाना बेहटा गोकुल जनपद हरदोई

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त Samsung Galaxy Tab बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा पोक्सो अधिनियम में अभियुक्त को हिरासत में लिया गया।

आज दिनांक 08.12.2025 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा लिखित तहरीर दी गई जिसमें वादी ने बताया कि दिनांक 7/12/25 को समय करीब रात्रि 10.30 बजे मेरी लडकी उम्र करीब 14 वर्ष घर पर नही थी, हम परिवार के लोगो ने आस पास काफी तलाश किया तो वह छत पर मिली जिससे मैंने पूछताछ की तो मेरी बेटी ने बताया कि कैफे वाले अकंल लुकमान पुत्र महबूब ने मुझे लालच देकर बुलाया था और मेरे साथ गलत काम किया। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 65(1)/351(3) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त लुकमान पुत्र महबूब निवासी ग्राम नेकपुर

साबितनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को हिरासत में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त लुकमान उपरोक्त ने पूछताछ करने पर घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि वह वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा उसके साथ गलत काम किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अभियुक्त लुकमान पुत्र महबूब निवासी ग्राम नेकपुर साबितनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

हिरासत में लेने वाली टीम–

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी कर कार हड़पने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, कब्जे/निशादेही से 08 कार बरामद की गई।

दिनांक 01.12.25 को थाना मसूरी पर वादी नदीम पुत्र हाफिजसईदुदीन निवासी रफीकाबाद कालोनी डासना मसूरी थाना मसूरी गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त उबैदउल्ला द्वारा वादी के साथ धोखाधडी करके 11 अलग-अलग कार हड़प लेने के सम्बध में सूचना दी जिसके आधार पर थाना मसूरी पर धारा 318(4) बीएनएस में अभियोग पजीकृत किया गया। थाना स्तर पर मुकदमा उपरोक्त का घटना का अनावरण करने हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात आज दिनाक 08.12.25 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा धोखाधडी करने वाले अभियुक्त उबैदउल्ला पुत्र बजहत हुसैन निवासी रफिक हाउस के सामने गल शहीद मुरादाबाद हाल पता मौ0 जिगर कॉलोनी थाना सिविल लाइन मुरादाबाद उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे/निशादेही पर अभियुक्त द्वारा हडपी गई 08 गाडियों को अलग अलग जगहों से बरामद किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरा OLX के माध्यम से मार्च 2025 में नदीम से संपर्क हुआ था जिसके बाद हम दोनों की बातचीत होने लगी थी। मैंने गाडियाँ चलाने के सम्बन्ध में बताया तो हमे एक दूसरे पर विश्वास हो गया। मैं माह जुलाई 2025 में मसूरी गाजियाबाद में नदीम पुत्र हाफिज उपरोक्त के घर पर गया था। मैंने गाडियों को किराये पर लेकर प्रतिमाह किराया देने की बात नदीम से की तो मेरे विश्वास में आकर नदीम ने मुझे 25 जुलाई को 01 होन्डा सिटी कार को 30 हजार रूपये महीना किराये पर चलाने के लिये दे दी। मैंने गाडी 01 माह चलायी और 30 हजार रूपये किराये का नदीम को दे दिया और विश्वास में आकर नदीम ने मुझे 05 गाड़ी और गाडी मालिको से लेकर नदीम ने मुझे किराये पर चलाने के लिये दे दी जिनको मैं अपने ड्राईवरो के माध्यम से चलाने लगा। मैंने कुछ समय तक नदीम को किराये का भुगतान भी कर दिया तो नदीम को मेरे ऊपर पूरा विश्वास हो गया तो उसने सितम्बर महीने में 02 और गाड़ियां किराये पर चलाने को दे दी तथा माह अक्टूबर में कुल 11 गाडियों को मैं किराये पर चलवाने लगा जिसका 13 नवम्बर 2025 को मेरा और नदीम का लिखित में एग्रीमेन्ट हुआ लेकिन कुछ दिन तक गाडियों के ना चल पाने के कारण मुझे नुकसान होने लगा और सारी गाडियाँ को मैने अपने घर मुरादाबाद मंगवा लिया। मुझे पैसे की कमी हो गयी तो मैने बेईमानी व धोखाधडी से इन 11 गाडियों में से 02 गाडियाँ अपनी बताकर गिरवी रख दिया था जिनको मैंने

गाडी गिरवी रखी थी कुछ समय बाद वो व्यक्ति गाडी वापस कर गये थे और शेष में से 05 गाडियों को गिरवी रखने के लिये मैंने अपनी गाडी बताकर अपने परिचित के यहाँ मेरठ SEC 12 शास्त्री नगर में पहुँचा दिया था तथा शेष 03 गाडी चलाने के लिये ड्राइवरों को दे रखी है।

बरामदगी का विवरण

UP16BC4955 HYUNDAICITY GREY
UP32MD7138 URBAN CRUISER
DL7CQ4481 120 SILVER
UP14FW5175 BLACK THAR
UP14EV5475 VERNA WHITE
UP16KT8507 ERTIGA SILVER
UP14FB3444 SWIFT SILVER
UP14GE1079 WHITE FRONX

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

उबैदउल्ला पुत्र बजहत हुसैन निवासी रफिक हाउस के सामने गल शहीद मुरादाबाद हाल पता मौ0 जिगर कॉलोनी थाना सिविल लाइन मुरादाबाद उम्र करीब 32 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त उबैदउल्ला उपरोक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित 10-10 हजार रुपये के 02 इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 07.10.25 को थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित 10-10 हजार के 02 इनामिया 1. सद्दाम पुत्र ईस्तकार निवासी मौहल्ला लुकमानपुरा थाना किरतपुर जिला बिजनौर उम्र करीब 32 वर्ष व 2. नदीम पुत्र फुरकान निवासी मौहल्ला लुकमानपुरा थाना किरतपुर जिला बिजनौर उम्र करीब 35 वर्ष को सफेद गेट भोपुरा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सद्दाम पुत्र ईस्तकार व नदीम पुत्र फुरकान उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में वाछिंत चल रहे दोनों अभियुक्त 10-10 हजार रुपये के इनामिया है। गिरफ्तार अभियुक्त सद्दाम पुत्र ईस्तकार व नदीम पुत्र फुरकान उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त सद्दाम पुत्र ईस्तकार व नदीम पुत्र फुरकान उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त व उसके अन्य साथियों द्वारा गिरोह बनाकर अवैध धन अर्जित करने के लिए चोरी जैसे संगीन अपराध कारित किये गये है। दोनों अभियुक्तों द्वारा थाना टीला मोड़ व इन्दिरापुरम क्षेत्र में चोरी की घटनाएं कारित की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. सद्दाम पुत्र ईस्तकार निवासी मौहल्ला लुकमानपुरा थाना किरतपुर जिला बिजनौर उम्र करीब 32 वर्ष।
2. नदीम पुत्र फुरकान निवासी मौहल्ला लुकमानपुरा थाना किरतपुर जिला बिजनौर उम्र करीब 35 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त सद्दाम पुत्र ईस्तकार व नदीम पुत्र फुरकान उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर चोरी व गैंगस्टर एक्ट के सम्बन्ध में 02 अभियोग व थाना इन्दिरापुरम पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 03-03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई सजा।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में कमिश्नरेट स्तर पर गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं तत्कालीन विवेचक निरीक्षक श्री बलराम सिंह थाना लिंकरोड कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा सुसंगत साक्ष्यों के क्रम में की गयी उच्च गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री उत्कर्ष वत्स द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना लिंकरोड कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 376(3)/506 भादवि व ¾ पॉक्सो में अभियुक्त साहुल पुत्र इन्तजार निवासी- नई बस्ती बाडे वाली मस्जिद के पास फरुखनगर थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद को मा०विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 08.12.2025 को धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 506 भादवि में 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादी की बहिन के साथ कुछ सुंघाकर बलात्कार करना, जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना लिंकरोड कमिश्नरेट गाजियाबाद पर उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा थाना परिसर में मेट्रो हॉस्पिटल की टीम के साथ पुलिस टीम का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण।

आज दिनांक 08/12/2025 को थाना कौशाम्बी परिसर में METRO HOSPITAL & CANCER INSTITUTE के डॉक्टर गौरव सिंह (Physician) द्वारा अपनी टीम के साथ हैल्थ चैक-अप शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें BP, SUGAR, ECG, ECHO OR 2D आदि का परीक्षण किया गया। जिसमें थाना हाजा के 42 अधिकारी / कर्मचारी गण द्वारा अपना हैल्थ – चैक – अप कराया गया। सभी का स्वास्थ्य सही पाया गया।

डाक्टरो द्वारा स्वस्थ रहने सम्बंधी परामर्श दिये गये एवं सभी अधिकारी / कर्मचारीगण द्वारा डॉक्टरों द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करने हेतु संकल्प लिया गया।